संख्या-285/2025/आई/1008250/23-1-25/001-23-1002(002)/30/2025

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 **लखनऊ::दिनांक 27 जून, 2025**

विषय- वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-5054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से विभिन्न मण्डलों के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों के स्वीकृत कुल 20 मार्गों के चालू कार्यों हेतु अवशेष धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के निम्नलिखित तालिका-1 में उल्लिखित पत्रों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **विभिन्न मण्डलों के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों के स्वीकृत कुल 20 मार्गों के चालू कार्यों हेतु तालिका-2 के अनुसार अवशेष धनराशि के सापेक्ष कुल रू0 26,51,01,000/- (रूपये छब्बीस करोड़ इक्यावन लाख एक हजार मात्र) की धनराशि** चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-58 के **लेखाशीर्षके-5054** के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से स्वीकृत/निर्गत किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

तालिका-1

क्र0सं0	विश्वकर्मा पोर्टल का पत्र संख्या	दिनांक
1	14905/CE-HQ1/RSN5054/ADY/2025-26	25-06-2025
2	14906/CE-HQ1/RSN5054/LKO/2025-26	25-06-2025
3	14911/CE-HQ1/RSN5054/VNS/2025-26	25-06-2025
4	14925/CE-HQ1/RSN5054/BAR/2025-26	25-06-2025
5	14931/CE-HQ1/RSN5054/VNS/2025-26	25-06-2025
6	14999/CE-HQ1/RSN5054/MBD/2025-26	26-06-2025
7	15003/CE-HQ1/RSN5054/SAH/2025-26	26-06-2025

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

तालिका-2

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	प्रा.ख. बदायूं	अकरपुर नगासी मार्ग किमी0-1 से बरेनिया मार्ग का नवनिर्माण।	104 /2024/आई/520906/23-1-24/001-23-1002(002)/74/2024 दिनंाक 15.03.2024- दिनांक-15-03-2024	256.82 256.82 196.54 14.10 242.72	183.70	59.02	16.00
2	नि.ख.-1 पीलीभीत	बिलसण्डा बमरौली तिल्छी करेली मार्ग (अजिमा) के किमी 19.00 से 24.40 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य। (अजिमा)	93 /2025/आई/876756/23-1-25/001-23-1002(002)/28/2025 दिनांक 10.02.2025- दिनांक-10-02-2025	302.06 302.06 165.12 89.22 212.84	158.97	53.87	43.23
3	नि.ख.-1 शाहजहांपुर	ग्राम इंदेपुर से ग्राम नौसारा सम्पर्क मार्ग।	28/2024/आई/481052 /23-1-24/001-23-1002(002)/2/2024- दिनांक-30-01-2024	106.90 106.90 88.04 0.49 106.41	81.24	25.17	25.17
4	नि.ख.-1 शाहजहांपुर	पड़ैचा मोड़ से ग्राम अमोरा सम्पर्क से पाल ब्रिक फिल्ड से ग्राम सिरोमनपुर होते हुये मरेना-गटेहरा सीमा चकरोड से इमिलिया मरेना रोड तक सम्पर्क मार्ग।	74 /2024/आई/508602/23-1-24/001-23-1002(002)/47 /2024 पार्ट-1 -दिनांक-29-02-2024	250.88 248.17 207.27 0.21 247.96	203.67	44.29	44.29
5	नि.ख.-1 शाहजहांपुर	कांठ कुर्रिया कलाँ मार्ग से मार्ग से ग्राम कुर्रिया बहरी की पुलिया से ग्राम कुतआपुर के उत्तरी रास्ते से होते हुये ग्राम पल्हौरा की पुलिया तक सम्पर्क मार्ग।	74 /2024/आई/508602/23-1-24/001-23-1002(002)/47 /2024 पार्ट-1 -दिनांक-29-02-2024	146.07 144.28 120.28 0.67 143.61	100.99	42.62	42.62
6	नि.ख.-1 शाहजहांपुर	ब्लाक कांठ में मल्हपुर से बिसरा सम्पर्क मार्ग।	74 /2024/आई/508602/23-1-24/001-23-1002(002)/47 /2024 पार्ट-1 -दिनांक-29-02-2024	110.95 109.22 80.28 11.51 97.71	72.06	25.65	25.65
7	नि.ख.-1 शाहजहांपुर	मोहल्ला नितगंजा से हरनौखा सम्पर्क मार्ग।	77 /2024/आई/510585/23-1-24/001-23-	457.26 447.09 289.72	271.31	91.96	91.96

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
			1002(002)/49 /2024 - दिनांक-04-03-2024	83.82 363.27			
8	नि.ख.-1 शाहजहांपुर	कुर्रियाकला से पथराखास सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कार्य।	77 /2024/आई/510585/23-1-24/001-23-1002(002)/49 /2024 - दिनांक-04-03-2024	362.74 362.74 270.11 17.24 345.50	236.63	108.87	75.00
9	नि.ख.-1 शाहजहांपुर	याकूबपुर चैराहे से ग्राम एतमादपुर सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	89 /2024/आई/515262/23-1-24/001-23-1002(002)/60/2024 - दिनांक-07-03-2024	108.44 102.32 65.25 19.51 82.81	57.97	24.84	14.00
10	नि.ख.-1 शाहजहांपुर	तिलहर जैतीपुर मार्ग से मंसूरपुर भुडेली धनेला सम्पर्क मार्ग।	110 /2024/आई/520896/23-1-24/001-23-1002(002)/47/2024 पार्ट-2-दिनांक-15-03-2024	316.58 315.22 228.99 32.23 282.99	220.65	62.34	62.34
11	प्रा.ख. शाहजहांपुर	बिलन्दापुर गद्दीपुर तिराहे से मा ॅडल स्कूल तक सम्पर्क मार्ग के नवनिर्माण कार्य।	28/2024/आई/481052 /23-1-24/001-23-1002(002)/2/2024- दिनांक-30-01-2024	132.99 132.99 83.99 23.99 109.00	42.83	66.17	60.72
12	प्रा.ख. शाहजहांपुर	ग्राम इूंडा से ग्राम आवादुईया सम्पर्क मार्ग	89 /2024/आई/515262/23-1-24/001-23-1002(002)/60/2024 - दिनांक-07-03-2024	201.72 201.72 146.95 19.76 181.96	127.37	54.59	54.59
13	प्रा.ख. हरदोई	पिहानी बूढागांव कूल्हाघाट मार्ग (अजिमा) के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य	93 /2025/आई/876756/23-1-25/001-23-1002(002)/28/2025 दिनांक 10.02.2025- दिनांक-10-02-2025	2345.50 2345.50 1176.69 681.05 1664.45	428.04	1236.41	360.00
14	प्रा.ख. उन्नाव	धानीखेड़ा एस0एच0 से भरतीपुर पिपरासर होते हुए गढ़ेवा गंगा सेतु मार्ग के चौनेज 0.000 से 9.900 के चौड़ीकरण (5.50 मी0) एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	741 /2024/आई/836002/23-1-24/ 001-23-1002(002)/241/2024 - दिनांक-28-12-2024	1486.59 1482.51 774.35 285.42 1197.09	570.29	626.80	228.33
15	नि.ख.-2 लखनऊ	किशुनपुर कौडिया से अपना आश्रम सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	84 /2025/आई/871772/23-1-25/001-23-1002(002)/7/2025- दिनांक-05-02-2025	31.74 31.74 18.71 3.90 27.84	22.21	5.63	5.63
16	नि.ख. जौनपुर	जनपद जौनपुर में रामपुर कठवतियां मार्ग (अ0जि0मा0) के	88 /2024/आई/515258/23-1-24/001-23-	2177.87 2177.87 1551.32 26.00	1540.33	611.54	201.58

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
		चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	1002(002)/66/2024 - दिनांक-07-03-2024	2151.87			
17	प्रा.ख. वाराणसी	काजीसराय गैरहा मुर्दहा मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	113 /2025/आई/891761/2 3-1-25/001-23-1002(002)/28/2025-पार्ट-1 दिनांक-25-02-2025	2366.77 2366.77 614.19 361.14 2005.63	467.53	1538.10	400.00
18	प्रा.ख. मुरादाबाद	आई0आर0क्यू0पी0 के अन्तर्गत मुरादाबाद हरिद्वार देहरादून के चैनेज 0.000 से 22.500 तक सतह सुधार का कार्य।	45 /2024/आई/495524/2 3-1-24/001-23-1002(002)/3/2024 - दिनांक-14-02-2024	3249.74 3249.74 1601.61 845.70 2404.04	1010.11	1393.93	300.00
19	नि.ख.-3 बाराबंकी	जनपद लखनऊ के विकास खण्ड बंकी में लखनऊ बाराबंकी गोरखपुर मोकामा पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-28 के किमी 22.700 से 26.000 एवं 29.700 से 30.500 तक चौड़ीकरण एवं आर0सी0सी0 डिवाइडर का निर्माण कार्य।	186/2025/आई/92411 6/23-1-25/001-23-1002(002)/103/2025-दिनांक-31-03-2025	2971.78 2971.78 1507.18 60.60 2911.18	200.00	2711.18	400.00
20	प्रा.ख. अयोध्या	बीकापुर जाना मार्ग (अ0जि0मा0) के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	136 /2024/आई/521955/2 3-1-24/001-23-9002(001)/27/2023-दिनांक-15-03-2024	4311.88 4311.88 3424.51 11.24 4300.64	3967.48	333.16	199.90
						कुल योग-	**2651.01**

(1) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2026 तक कर लिया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को दिनांक 30 अप्रैल, 2026 तक उपलब्ध करा दिया जाय। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन कार्यों के लिए किसी अन्य आदेश से स्वीकृति/आवंटन तो प्राप्त नहीं है और यदि दोहरी स्वीकृति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त कराते हुए संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(2) लेबर सेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय, वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तो के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि तथा राज्य सड़क निधि नियमावली में किये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय।

(4) राज्य सड़क निधि हेतु गठित राज्य सड़क प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/प्रयोजनों के लिये ही स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रयोजनों हेतु राज्य सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रयोजन हेतु व्यय की गयी है।

(5) समस्त कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जाये ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो, उक्त परिवर्तन/विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाय।

(6) इस निधि से स्वीकृत कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का सक्षम स्तर पर सम्यक निरीक्षण/सत्यापन कर प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(7) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपर्युक्त परियोजनाओं के संबंध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेशों एवं यथा पुनरीक्षित शासनादेशों की शर्तों तथा उक्त के संबंध में वित्त विभाग के समस्त सुसंगत शासनादेशों की शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय **कुल रू0 26,51,01,000/- (रूपये छब्बीस करोड़ इक्यावन लाख एक हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-58 **लेखाशीर्षक 5054043375800** राज्य सड़क निधि से सड़कों का निर्माण/सुदृढ़ीकरण/ चौड़ीकरण मानक मद 24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राजेश प्रताप सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-285/2025/आई/1008250(1)/23-1-25/001-23-1002(002)/30/2025, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
4- मुख्य अभियंता (मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
5- मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
6- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
8- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
9- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
10- लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
11- नोडल अधिकारी (आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अभिषेक गंगवार
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।